न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या –26 / 2025

ओमप्रकाश बनाम राज0 सरकार वगै0

प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0ए0

निर्णय **निर्णय दिनांक 07 / 11 / 2025**

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0आर0ए0 इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 22 की कब्जेकाश्त की एवं खातेदारी भूमि वाके रामा संवास तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 53 पुराना 94 के आराजी खसरा संख्या 339, 340, 341 जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिस पर प्रार्थीगण कब्जाकाश्त कर मुस्तफिद फायदा उठाते चले आ रहे है। दिनांक 30.05.2025 को श्रीमान जिला कलक्टर भू.अ. दौसा के पत्र कमांक 571 दिनांक 16.01.2025 की पालना में एवं तहसीलदार भू0अ0 सिकराय के पत्रांक 1658 दिनांक 27.05.2025 की पालना में गठित राजस्व टीम एवं श्रीमान भू प्रबंध अधिकारी अलवर के आदेश कमांक 1643 दिनांक 26.05.2025 की पालना में गठित भू प्रबंधक टीम मय संयुक्त टीम आराजी खसरा संख्या 341 एवं 342 के निशानदेही कार्य हेतु मौका पर पहुंचे, मौके पर आवेदक उपस्थित मिला संयुक्त टीम द्वारा उक्त खसरा नम्बर 341, 342 के सभी कोनो के निशानात मुताबिक हाल नक्शा अनुसार लगाए गए। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित का सीमाज्ञान करवा रखा है किन्तु उक्त भूमि के सीमाचिन्हों को जानवरों एवं बरसात की वजह से उक्त सीमाचिन्ह नष्ट होने की संभावना है जिसके कारण पडोसी खातेदारान द्वारा सीमाचिन्हों के नष्ट होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा रहते है। इसलिए प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि वाके रामा डोलिका तह0 सिकराय में स्थित है जिसके आराजी खसरा नम्बर 341, 342 का प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30.05.2025 को सीमाचिन्ह स्थापित करवाये जा चुके है उनके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि की सीमाचिन्ह अनुसार पत्थरगढी कर तारबन्दी करवाने हेतु तहसीलदार सिकराय को आदेश प्रदान किए जावे।

इत्यादि पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली जवाब स्टेट हेतु नियत की गई। तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0 / 2025 / 2278 दिनांक 24.06.2025 द्वारा जवाब पेश किया गया। पडौसी

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

खातेदारान रामखिलाडी वगै0 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश किया गया, जिसे नियमानुसार सुनवाई कर पडौसी खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु स्वीकार किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0ए0 प्राथना पत्र पेश किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 341 एवं 342 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है जिसका सीमाज्ञान भू प्रबंध विभाग की टीम द्वारा डीजीपीए मशीन की सहायता से किए जा चुका है। लेकिन बरसात एवं जानवरों के कारण सीमाचिन्ह नष्ट हो जाते है जिससे पडोसी खातेदारान से विवाद की स्थिति रहती है। इसलिए मुताबिक सीमाज्ञान विवादित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किए जावे। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान डी जी पी एस मशीन द्वारा होना स्वीकार है परन्तु आराजी भूमि खसरा नम्बर 332, 632/334, 333, 638/334, 335, 336, 637/334, 639/334, 635/334, 634/334 कुल किता 10 रकबा 1.34 है0 रामा संवास तहसील सिकराय में अप्रार्थीगण की स्थित है अप्रार्थीगण की भूमि व प्रार्थीगण की भूमि एक दूसरे की सीमा से लगती हुई है प्रार्थीगण ने तथ्यों को छुपाते हुये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित सीमाज्ञान अप्रार्थीगण को बिना सूचना बिना मौजुदगी मे गलत मुस्तकिल पाइंट कायम कर दिनांक 28.04.2025 को मौका सीमाज्ञान कराया गया है जबकि ग्राम संवास व पीपलकी की सीमा मिण्डा/पत्थर व पुख्ता पुराने चाहा को मुस्तकिल पाइंट कायम कर सीमाज्ञान कराना चाहिए था नक्शाशीट के मुताबिक सीमाज्ञान नहीं कराकर नक्शाशीट में लाल स्याई से सीमांकन कराया गया है जो विधि विपरित है। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 332, 632/334, 333, 638/334, 335, 336, 637/334, 639/334, 635/334, 634/334 कुल किता 10 रकबा 1.34 है0 वाके रामा संवास तहसील सिकराय का तहसीलदार सिकराय हल्का पटवारी गिरदावर से तथा डी जी पी एस मशीन से भूप्रबंध अधिकारी से सीमाज्ञान कराया जाकर खसरा नम्बर 341 एवं 342 का पत्थरगढी का आदेश फरमाया जावे अन्यथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब तहसीलदार सिकराय का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 341 एवं 342 का सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी चाही गई है, विवादित भूमि का सीमाज्ञान भू प्रबंध विभाग की टीम द्वारा किया जा चुका है। अप्रार्थीगण द्वारा भू प्रबंध द्वारा किए गए सीमाज्ञान को गलत बताया है, तथा अप्रार्थीगण द्वारा यह भी कहा गया है कि उनकी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

निर्णय प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0ए0, प्रकरण संख्या 34/2025 उनवान– ओमप्रकाश बनाम राज0 सरकार

भूमि खसरा नम्बर 332, 632/334, 333, 638/334, 335, 336, 637/334, 639/334, 635/334, 634/334 कुल किता 10 रकबा 1.34 है0 का सीमाज्ञान किया जावे तत्पश्चात प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी की जावे। लेकिन यदि अप्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहते है तो नियमानुसार सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकते है। अप्रार्थीगण तथा प्रार्थीगण की भूमि अलग अलग है इसलिए सिर्फ अप्रार्थीगण की भूमि के सीमाज्ञान के लिए पत्थरगढी रोका जाना न्यायोचित नहीं है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि भू प्रबंध टीम द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का किया गया सीमाज्ञान गलत हो। यदि अप्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढी करवाना चाहते है तो पृथक से नियमानुसार आवेदन कर अनुतोष प्राप्त करें। भूमि खसरा नम्बर 341 एवं 342 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि होना स्पष्ट है इसलिए प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0ए0 स्वीकार कर ग्राम संवास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 341 एवं 342 की पत्थरगढी भू प्रबंध टीम द्वारा किए गए सीमाज्ञान अनुसार किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा